गेल (इंडिया) लिमिटेड
तथा
ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया
के बीच
समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू") गेल (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली 110 066 (जिसे यहां इसके बाद "गेल" के रूप में संदर्भित किया गया है),

एवं

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया जिसका कार्यालय बालवंत्री मेहता विद्या भवन, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-।।, नई दिल्ली -110 048 (जिसे यहां इसके बाद "टीआईआई" के रूप में संदर्भित किया गया है) के बीच जुलाई, 2007 के 23वें दिन संपन्न हुआ ।

(यहां इसके बाद गेल और टीआईआई को वैयक्तिक रूप से "पार्टी" और सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया गया है)

1. यह विचार करते हुए कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार व्यापक रूप से सामाजिक और आर्थिक अपराध के रूप में पहचाने गए हैं जो भारत में सुशासन और आर्थिक विकास में बाधक हैं, साथ ही हमारे समाज के नैतिक तानेबाने का भी क्षरण करते हैं;

2. यह विचार करते हुए कि भारत की सभी कंपनियां और बड़े संगठन सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए सामान्य उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं;

3. यह मानते हुए कि इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पृथक संगठन, कंपनी अथवा सरकारी विभाग के स्तर पर भी स्थायी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है;

4. ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया (टीआई इंडिया) तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों तथा विभिन्न कारोबारी संगठनों यथा गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रयासों का स्वागत करते हुए;

5. गेल, सार्वजनिक क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम है जिसका लक्ष्य वैश्विक फोकस के साथ प्राकृतिक गैस एवं इतर क्षेत्र में ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्ध, सभी स्टैक धारकों के लिए मूल्य सृजन करने वाली तथा अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, गैस/पेट्रोलियम क्षेत्र की विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल रहते हुए एक अग्रणी कंपनी बनना है । कारोबार के संचालन में गेल का मूल मंत्र 'नैतिकता के साथ उत्कृष्टता' है जिसमें उसे अपने कारोबार के सामान्य प्रचालन में माल और सेवाओं हेतु कई घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं/ संविदाकर्ताओं/ वेंडरों (प्रतिपक्षकारों) के साथ कार्य करना पड़ता है। भ्रष्टाचार मुक्त कारोबारी परिवेश एवं नीति सम्मत आचरण को बनाए रखना और इसे और अधिक सुदृढ़ करना गेल का सतत प्रयास रहा है । गेल अपने सभी प्रतिपक्षकारों के साथ मधुर संबंध बनाए रखता है तथा विकास के भागीदार के रूप में उन सब के साथ न्यायोचित एवं पारदर्शी रूप से कार्य करता है;

6. सत्यनिष्ठा समझौता कंपनियों अथवा सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में पूर्णत: भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से संचालित किए जाने को सुनिश्चित किए जाने के लिए ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक टूल है;

7. गेल तथा टीआई इंडिया ने संलग्न सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम विकसित किया है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से जोएनजीसी द्वारा विकसित आईपी कार्यक्रम के समान है तथा गेल इस कार्यक्रम को अपने संगठन कार्यान्वित कर रहा है । गेल तथा अन्य संगठनों में सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर आईपी कार्यक्रम की प्रभावकारिता में सुधार के लिए इसे और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है;

8. गेल सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम के अक्षरश: कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है;

9. आईटी इंडिया इस संबंध में गेल का समर्थन करने और परामर्श तथा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके;

10. सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गेल और टीआई इंडिया के बीच किसी मतभेद की स्थिति में वे बातचीत और विचार-विमर्श के माध्यम से उसका समाधान करेंगे । मतभेद का समधान नहीं हो पाने की स्थिति में कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 30 दिनों तक की लिखित सूचना देकर इस एमओयू को समाप्त कर सकती है और इसके प्रभावी होने के पश्चात इस समापन को सार्वजनिक कर सकती है ।

11. यह एमओयू सभी प्रकार से भारतीय कानूनों के अनुसार निर्मित और अभिशासित की जाएगी। नेक इरादों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी विवादों के समाधान हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा तथा इस एमओयू से संबंधित विवादों के लिए दिल्ली स्थित सभी न्यायालय न्याय हेतु एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।

12. अब इसलिए, इस समझौता ज्ञापन पर आज की तारीख अर्थात 23.07.2007 को हस्ताक्षरित किया गया है जिसका गेल बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा और यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार इसे समाप्त नहीं किया जाता।

नई दिल्ली में जुलाई, 2017 के 23वें दिन को हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद

के लिए तथा की ओर से

गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता./-
(यू. डी. चौबे)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
16, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - 110 065

फोन नं. : 26102077
फैक्स नं. : 26103055
ई-मेल : udchoubey@gail.co.in

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया
हस्ता./-
(एडमिरल (सेवानि.) आर. एच. ताहिलियानी)
अध्यक्ष,
बलवंत्री मेहता विद्या भवन
मस्जिद मोठ , ग्रेटर कैलाश-।।,
नई दिल्ली - 110 048
फोन नं. : 29224519
फैक्स नं. : 29228081
ई-मेल : tindia@gmail.com

गवाह

हस्ता./-
(अरविन्द जाधव), आईएएस
मुख्य सर्तकता अधिकारी
गेल (इंडिया) लिमिटेड
नई दिल्ली

हस्ता./-
(डॉ. एस. के. अग्रवाल)
उपाध्यक्ष
ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया
नई दिल्ली

<u>सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम</u>

I. <u>परिचय</u>

गेल (इंडिया) लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम है जिसका लक्ष्य वैश्विक फोकस के साथ प्राकृतिक गैस एवं इतर क्षेत्र में ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्ध, सभी स्टैक धारकों के लिए मूल्य सृजन करने वाली तथा अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, गैस/पेट्रोलियम क्षेत्र की विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल रहते हुए एक अग्रणी कंपनी बनना है । गेल के कारोबार संचालन का मंत्र है- "नैतिकता के साथ उत्कृष्टता" ।

अपने कारोबार के सामान्य प्रचालन में गेल को माल और सेवाओं हेतु कई घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं/संविदाकर्ताओं/वेंडरों (प्रतिपक्षकारों) के साथ कार्य करना पड़ता है। भ्रष्टाचार मुक्त कारोबारी परिवेश एवं नीति सम्मत आचरण को बनाए रखना और इसे और अधिक सुदृढ़ करना गेल का सतत प्रयास रहा है । गेल अपने सभी प्रतिपक्षकारों के साथ मधुर संबंध बनाए रखता है तथा विकास के भागीदार के रूप में उन सब के साथ न्यायोचित एवं पारदर्शी रूप से कार्य करता है ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गेल और टीआई इंडिया ने सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम तैयार किया है जो ओएनीजीसी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से तैयार किए गए आईपी कार्यक्रम के समान है । इस पहल के हिस्से के रूप में, गेल केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा टीआई इंडिया के परामर्श से स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति करेगा जो सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गेल की मदद करेंगे ।

गेल की सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

- गेल की बाध्यताएं और प्रतिबद्धताएं
- प्रतिपक्षकारों की बाध्यताएं और प्रतिबद्धताएं
- उल्लंघन एवं परिणाम
- दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन
- आवधिक समीक्षा एवं मूल्यांकन

II. <u>गेल की बाध्यताएं एवं प्रतिबद्धताएं</u>:

क) गेल अपने प्रतिपक्षकारों के साथ "नैतिकता के साथ उत्कृष्टता" के साथ कार्य करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है ।

ख) गेल अपने प्रतिपक्षकारों के साथ अपने संबंधों को मूल्यवान समझता है और उनके साथ सभी कार्य न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से करता है ।

ग) गेल तथा/अथवा इसकी सहयोगी कंपनियां/शेयरधारक (कार्मिक, एजेंट, परामर्शदाता, सलाहकार आदि) अपने लिए अथवा किसी तीसरे पक्ष के लिए कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत / अनुचित लाभ नहीं लेंगे अथवा देंगे ।

घ) प्रतिस्पर्धी निविदा अथवा सामान्य प्रापण के मामले में गेल अपने प्रतिपक्षकारों के साथ निष्पक्षता के मौलिक मूल्यों के आधार पर तथा न्यायोचित ढंग से कार्य करेगा ।

ड.) गेल ऐसी सभी सहयोगी कंपनियों को प्रतिपक्षकारों के साथ कार्य करने से बाहर रखेगा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हों अथवा जिनके हितों का टकराव होता हो ।

च) गेल अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा तथा प्रतिपक्षकारों को समय पर भुगतान करेगा । राशि के भुगतान में पांच दिन से अधिक विलंब के मामले में उसे कारण सहित रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा तथा प्रतिपक्षकारों को इसकी सूचना दी जाएगी । ऐसे मामले कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के ध्यान में लाए जाएंगे ।

छ) गेल यह भी सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय प्रस्ताव वाली फाइलें निर्धारित समयावधि में प्रोसेस कर ली जाएं । फाइलों की ट्रैकिंग फाइल मूवमेंट सिस्टम (एफएमएस) से की जाएगी तथा प्रत्येक स्तर पर क्लीयरेंस के लिए अधिकतम 15 दिन का समय दिया जाएगा। निविदा/संविदा अवार्ड को निविदा अवधि के भीतर ही अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा । समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निविदा की प्रोसेसिंग में अनुचित विलंब होने पर उसका कारण दर्ज करना होगा । विलंब के ऐसे सभी मामले मुख्य सतर्कता अधिकारी / स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता की जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाए जाएंगे ।

ज) गेल के समक्ष भ्रष्टाचार अथवा अनुचित आचरण का कोई मामला सामने आने अथवा लाए जाने पर गेल त्वरित कार्रवाई आरंभ करेगा तथा मामले की पूरी तरह जांच करेगा ।

III. "प्रतिपक्षकार" की प्रतिबद्धताएं एवं बाध्यताएं

क) प्रतिपक्षकार, गेल के साथ कार्य करते हुए अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (एजेंट, सलाहकार, परामर्शदाता आदि के माध्यम से) रिश्वत नहीं देगा/प्रभावित नहीं करेगा अथवा किसी को अनुचित / नीति विरुद्ध लाभ नहीं पहुंचाएगा ।

ख) प्रतिपक्षकार अन्य प्रतिपक्षों के साथ मूल्य निर्धारण सहित किसी भी तरह की सांठ-गांठ तब तक नहीं करेगा जब तक गेल द्वारा विशिष्ट रूप से निविदा प्रक्रिया में ऐसा प्राधिकार न दिया गया हो ।

ग) प्रतिपक्षकार गेल की गोपनीय जानकारी अन्य किसी पक्ष को तब तक नहीं देगा

जब तक उसे गेल द्वारा लिखित रूप से ऐसा विशिष्ट प्राधिकार न दिया गया हो ।

घ) प्रतिपक्षकार अपने संगठनों में सर्वोत्तम नीतिपूर्ण कार्यप्रणाली को बढ़ावा देंगे एवं अपनाएंगे।

ड.) प्रतिपक्षकार स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता को निम्न जानकारी देंगें :

i) यदि उनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत / पक्षपात अथवा नीति विरूद्ध तुष्टीकरण / भुगतान / लाभ की मांग की गई हो;

ii) यदि उन्हें किसी अनैतिक अथवा नीतिविरुद्ध भुगतान / लाभ दिए जाने की जानकारी प्राप्त हो ।

iii) यदि वह गेल की किसी सहयोगी कंपनी को भुगतान करे ।

च) प्रतिपक्षकार गेल अथवा इसकी सहयोगी कंपनियों पर कोई झूठा या दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाएंगे ।

IV) <u>उल्लंघन एवं परिणाम</u>:

क) यदि कोई प्रतिपक्षकार बोली प्रक्रिया के दौरान सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं तथा बाध्यताओं का उल्लंघन करता है तो उनकी समूची बयाना जमा राशि / बोली सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और साथ ही, उन्हें भविष्य में गेल के साथ कारोबार के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है ।

ख) संविदा दिए जाने के पश्चात प्रतिपक्षकार द्वारा सत्यनिष्ठता समझौता का उल्लंघन करने के मामले में गेल के पास संविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा । गेल ऐसे मामलों में प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर लेगा, बैंक गारंटी(यों) का नकदीकरण करवा लेगा तथा प्रतिपक्षकार को प्राप्य अन्य राशियां जब्त कर लेगा।

ग) गेल, स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता की संतुष्टि के अधीन, प्रतिपक्षकार को तब तक बैन / ब्लैकलिस्ट / अवकाश सूची में डाल सकते हैं तथा भविष्य में कार्यप्रणाली से बाहर कर सकते हैं जब तक गेल संतुष्ट न हो जाए कि प्रतिपक्षकार भविष्य में इस प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं करेगा ।

घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, यदि प्रतिपक्षकार द्वारा लगाए गए आरोप कपटपूर्ण, असत्य तथा दुर्भावनापूर्ण पाए जाते हैं तो, गेल उल्लंघन करने वाले प्रतिपक्षकार के प्रति आपराधिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा उस पर कड़ा जुर्माना भी लगा सकता है ।

ड.) उपर्युक्त (घ) के असत्य पाए जाने पर प्रतिपक्षकार स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता द्वारा यथा निर्धारित राशि का दावा करने का हकदार होगा ।

V) <u>स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता</u>

क) सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता(ओं) की नियुक्ति का प्राधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल के पास है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया ओएनजीसी के बाह्य विशेषज्ञ समिति (ओईसी) की प्रक्रिया के समान होगी। इस उद्देश्य हेतु गेल द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई इंडिया) के परामर्श से स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं का पैनल गठित किया जा सकता है जिसे उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने से पहले क्लीयरेंस हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित करना होगा।

ख) यह तीन वर्ष की स्वैच्छिक, अवैतनिक अवधि होगी। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता का दर्जा / सुविधाएं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / गेल के निदेशकों के दर्जे के समतुल्य होगा।

ग) स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता का चयन वाणिज्यिक गतिविधियों में अनुभवी बेदाग एवं सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से किया जाएगा। गेल के कारोबार से परिचित व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।

घ) गेल में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी अथवा अन्य किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि की रोकथाम के लिए बाह्य स्वतंत्र निगरानीकर्ता सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ङ) स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं के पास प्रशासनिक अथवा प्रवर्तन का उत्तरदायित्व नहीं होगा। वे अपने प्रयासों का समन्वय मुख्य सतर्कता अधिकारी, गेल तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली जैसी अन्य भ्रष्टाचार – रोधी संस्थाओं की सहायता से मिलकर करेंगे। वे अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यकता होने पर गेल के व्यय पर गेल की पूर्वानुमती से बाह्य एजेंसियों जैसे - लेखांकन फर्म, विधि फर्म आदि की सेवाएँ ले सकेंगे।

च) स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता को सभी अधिकारियों तथा गेल के आंतरिक रिकॉर्डों का एक्सेस होगा। उनके पास गेल के कार्य से संबंधित प्रतिपक्षकार के रिकॉर्ड एवं सूचनाओं का भी एक्सेस होगा।

छ) स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता के पास गेल तथा प्रतिपक्षकारों के बीच किसी भी बैठक में उपस्थित होने का अधिकार होगा।

ज) यदि स्वतंत्र बाह्य निदेशक कोई अनियमितता पाता है अथवा उन्हें इसका संदेह होता है तो वे गेल के अध्यक्ष तथा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को इसकी जानकारी देंगे। घटित अनियमितता के प्रति आश्वस्त होने पर स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता इसकी सूचना गेल के निदेशकमंडल को देंगे।

VI) कार्यान्वयन दिशानिदेश

सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित समान्य दिशानिर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया जाता है :

क) स्वतंत्र बाह्य निदेशक का चयन केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा टीआई इंडिया के परामर्श से किया जाए ।

ख) कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए सभी वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों / गेल के अधिकारियों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित की जाए ।

ग) विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार की जाए तथा सत्यनिष्ठता समझौता दस्तावेज को स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाए ।

घ) सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के निर्णय के संबंध में निदेशक मंडल, गेल के अधिकारियों, गेल की विभिन्न संस्थापनाओं, शेयरधारकों तथा गेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं आदि को अधिसूचित किया जाए ।

ड.) विस्तृत परिचालन हेतु सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को गेल की वेबसाइट पर होस्ट किया जाए तथा इसे मीडिया को भी जारी किया जाए ।

VII) आवधिक समीक्षा एवं मूल्यांकन

गेल आवधिक रूप से निम्न में से कुछ अथवा सभी उपायों से सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी :

क) गेल के वरिष्ठ नेतृत्व तथा बाह्य स्वतंत्र निगरानीकर्ता द्वारा सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम का वार्षिक स्व-मूल्यांकन कार्यक्रम बनाया जाएगा ताकि इसकी प्रभावशीलता की जांच हो सके तथा सुधार करने के लिए सुधार क्षेत्र उपायों को निर्धारित किया जा सके ।

ख) स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रगति / प्रभावशीलता के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट गेल के निदेशक मंडल को प्रस्तुत करेंगे ।

ग) भ्रष्टाचार को कम करने के संबंध में सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए गेल के वरिष्ठ / कनिष्ठ कार्यपालकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा प्रतिस्पर्धियों के परामर्श से वार्षिक 360 डिग्री रिव्यू (बाह्य एजेंसी द्वारा) आयोजित की जाए ।

घ) दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रतिष्ठित स्वतंत्र, एजेंसी द्वारा टीआई इंडिया के परामर्श से निर्धारित मानदंडों के आधार पर कार्यनिष्पादन सुधार सूचक मूल्यांकन किया जाएगा।

ड.) केंद्रीय सतर्कता आयोग, टीआई इंडिया तथा गेल द्वारा कार्यक्रम की दक्षता की जांच करने तथा और सुधार करने हेतु सुधार क्षेत्रों / उपायों का निर्धारण करने के लिए कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा।

VIII) न्यायालयों का न्यायाधिकार क्षेत्र

यह समझौता सभी प्रकार से भारतीय कानूनों के अनुसार अभिशासित एवं चलित होगा। सभी विवादों का निपटान आपसी सहमति से तथा सर्वोत्तम इच्छा से करने के सभी प्रयास किए जाएंगे तथा इस समझौते से संबंधित विवादों के संबंध में एकांतिक न्यायाधिकार क्षेत्र दिल्ली स्थित न्यायालय होंगे।